राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 634/2012/जयपुर

सहायक आयुक्त
विशेष वृत, जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स डी.सी.एम.श्रीराम कन्सोलीडेटेड लिमिटेड
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य
श्री अमर सिंह,सदस्य

उपस्थितः
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — विभाग की ओर से
श्री एम.एल.पाटोदी
अभिभाषक — व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 9-5-14

निर्णय

अपीलार्थी सहायक आयुक्त, विशेष वृत, जयपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स) द्वितीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 183/अपील्स–।।/सीएसटी/जयपुर/वि.वृ.राज./ 10–11 पारित आदेश 16.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलोच्य अवधि के लिए मूल्य कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02.2008 को पारित किया गया था,जिसकी पुनः जांच कर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.4(1)एफडी/टैक्स/डिवी/99–2366 दिनांक 21.02.2000 के तहत 6 प्रतिशत की दर से सीमेन्ट की बिना 'सी'फार्म के समर्थन में बिक्री की गई है, जबकि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) में दिनांक 11.5.2002 के संशोधन के फलस्वरूप इस बिक्री के समर्थन में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 'सी' फार्म पेश नही करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गयी बिना सी फॉर्म समर्थित बिक्री पर 13 व 22 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी को राजसथान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया।क नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित कर दिया गया। उक्त आरोपित कर एवं ब्याज के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दी।

अपील की सुनवाई आरम्भ होते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 16.09.2011 से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि 01.04.2005 से 31.03.2006 (2005–06) का कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.03.2014 को पारित कर दिये है(जिसकी प्रति बहस के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है), इसलिए जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, वह आदेश अब अस्तित्व में नहीं रहा है । अतः अपील सारहीन **(Infructuous)** हो जाने से अस्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक के कथन का विरोध करते हुए गुणववगुण पर निर्णय करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.09.2011 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09..2011 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः आलोच्य अवधि का कर निर्धारण दिनांक 27.03.2014 को पारित कर दिया हैं।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 16.09..2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09..2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत उपरोक्त अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(अमर सिह) 9.5.14
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य